भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या:5590

04अप्रैल, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

मेघालय में चिकित्सा अस्पताल

† 5590. श्री सालेंग ए. संगमाः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मेघालय, विशेषकर तुरा और आस-पास के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में चिकित्सा अस्पताल के निर्माण का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो आवंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है तथा तत्संबंधी अनुमानित लागत और समय-सीमा क्या है;

(ग) मेघालय के तुरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे और चिकित्सा सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) क्या जनसंख्या की बढ़ती चिकित्सा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तुरा में मौजूदा स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं को बेहतर करने का कोई प्रावधान है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (घ): स्वास्थ्य राज्य का विषय है, इसलिए स्वास्थ्य सुविधाकेंद्रों को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों सरकारों की है। मेघालय राज्य के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग (एफसी-XV) स्वास्थ्य अनुदान के तहत, राज्य के प्रस्ताव के अनुसार 32 भवनहीन उप स्वास्थ्य केंद्रों (एसएचसी) और 2 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) की स्थापना और सुदृढ़ीकरण के लिए वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 तक की पांच साल की अवधि में 20.39 करोड़ रुपये अनुमोदित किए गए है। इसके अलावा, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) के तहत, राज्य के प्रस्ताव के अनुसार 251 भवन-रहित उप-स्वास्थ्य केंद्रों - आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एसएचसी-एएएम), 10 एकीकृत जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला (आईपीएचएल) और 3 गहन परिचर्या ब्लॉकों (सीसीबी) के निर्माण/सुदृढ़ीकरण के लिए पांच साल की अवधि तथा वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 230.89 करोड़ रुपये की धनराशि अनुमोदित की गई है। इसके अलावा, आपातकालीन अनुक्रिया और

स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज (ईसीआरपी-II) के तहत, वर्ष 2021-22 के दौरान मेघालय राज्य में 3 बाल चिकित्सा परिचर्या इकाइयों, 1 बाल चिकित्सा उत्कृष्टता केंद्र और 1 क्रिटिकल केयर ब्लॉक की स्थापना के लिए 46.94 करोड़ रुपये की धनराशि अनुमोदित की गई है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) में प्रस्तुत आवश्यकताओं के आधार पर उनकी स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है। एनएचएम के अंतर्गत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (मेघालय सहित) को उनकी आवश्यकताओं और जन स्वास्थ्य सुविधाकेंद्रों की कमी के आधार पर अपने कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) में पहल प्रस्तावित करने की छूट प्रदान की गई है, जिससे स्वास्थ्य प्रणाली बेहतर होती है। इन पहलों में अवसंरचना, मानव संसाधन, निदान, उपकरण और दवाओं के लिए सहायता शामिल हो सकती है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राज्य के आवंटित संसाधन के भीतर इन प्रस्तावों की समीक्षा और अनुमोदन करता है। मेघालय राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, तुरा सिविल अस्पताल परिसर में चिकित्सा शिक्षण अस्पताल का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

*****